गुजरात राज्य

बनाम

रतनसिंह @चिनूभाई अनूपसिंह चौहान

(आपराधिक अपील संख्या 403/2007)

10 जनवरी, 2014

[के. एस. राधाकृष्णन और ए०के० सिकरी, जे जे।]

दंड संहिता, 1860:

धारायें 376, 302 और 201-बलात्कार और हत्या-के आरोप -परिस्थितिजन्य साक्ष्य-विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि और मृत्युदंड-उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त किया गया-निर्धारित उच्च न्यायालय ने ठीक ही अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन पक्ष के द्वारा पेश की गयी साक्ष्य से परिस्थितियों की एक पूरी श्रृंखला स्थापित नहीं हुई जो अभियुक्त को हत्या से जोड़ती –अनुसन्धान में महत्वपूर्ण दोष और कमियां हैं- गवाहों के विरोधाभासी बयान हैं और उन्होंने न्यायालय में आकर बढ़ा चढ़ा कर बयान दिए हैं- परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, इस तरह के एक अल्प, कमजोर और अधूरी साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्धि करना नासमझी होगी- चूंकि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे आरोपों को साबित करने में

सफल नहीं हुआ, उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय को सही अपास्त किया|

धारा 376- बलात्कार-पीड़िता, एक 7 साल की लड़की-की मौत-निर्धारित किया गया- कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं थी और उच्च न्यायालय ने सही निष्कर्ष दर्ज किया है कि चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष द्वारा बलात्कार का अपराध उचित संदेह से परे साबित नहीं कर पाया।

साक्ष्य:-

परिस्थितिजन्य साक्ष्य-अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत-निर्धारित-यह अभियोजन पक्ष द्वारा जोर डालने वाली प्रमुख परिस्थितियों में से एक है- उच्च न्यायालय ने इसको सही माना है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान जो मृतक को आखिरी बार आरोपी के साथ देखने के सम्बन्ध में थे में कुछ अंतर्निहित विरोधाभास थे- अनुसंधान सही प्रकार से नहीं किया गया और भरोसा करने के लायक भी नहीं था|

प्रत्यर्थी पर आई. पी. सी. की धारा 376, 302 और 201 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए मुकदमा चलाया गया था| उस पर 7 साल की लड़की, जो उसकी पडोसी थी के साथ बलात्कार कर हत्या करने का आरोप था| विचरण न्यायालय ने उसे आरोपित अपराधों में दोष सिद्ध करार दिया और उसे आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत आजीवन

कारावास की सजा और आई. पी. सी. की धारा302 के अधीन मृत्युदंड दिया। हालांकि, उच्च न्यायालय ने आरोपी को इस आधार पर बरी किया कि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था, अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की श्रृंखला को जोड़कर अभियुक्त को अपराध से जोड़ने में सफल नहीं हुआ |

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

अभिनिर्धारित किया:

1.1. जहाँ तक बलात्कार के आरोप का संबंध है उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है कि कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं थी और चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर, जो केवल एक परिस्थितिजन्य साक्ष्य थी, बलात्कार का अपराध अभियोजन पक्ष द्वारा उचित संदेह से परे साबित नहीं किया गया था। [पैरा 5-6] [405-ई-एफ; 406-बी]

1.2. यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और अभियोजन पक्ष का मामला अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत से शुरू होता है। इसके लिए अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू 12, पीडब्लू 16, पीडब्लू 17 और पीडब्लू 18 की गवाही पर भरोसा किया है|उच्च न्यायालय ने इन गवाहों के बयानों में कुछ अंतर्निहित विरोधाभासी पाए हैं जिनके आधार पर वो इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उनके बयानों को स्वीकार करना मुश्किल है, जो घटना के सम्बन्ध में एक दूसरे के विपरीत भी है| पीडब्लू 12, मृतका और एक अन्य लड़की के

साथ अभियुक्त के निवास के प्रांगण में खेल रही थी और जब अभियुक्त मौके पर पहुंचा उसने उन्हें जाने के लिए कहा| अभियोजन पक्ष के एक संस्करण के अनुसार मृतका ने उस स्थान को छोड़ दिया था; हालाँकि अभियुक्त ने उसे गुटका खरीदने के लिए बाजार भेजा था और वो गुटका खरीदने के बाद अभियुक्त को देने के लिए लौट आयी| जहाँ तक उसकी वापसी का प्रश्न है, उच्च न्यायालय के अनुसार, गवाहों के बयानों में विभिन्न विरोधाभास हैं| पीडब्लू7, वह दुकानदार जिससे मृतका गुटका खरीदने गयी थी, के बयानों के अनुसार मृतका लगभग तीन बजे उसकी दुकान पर आयी थी| उसने स्वीकार किया कि पुलिस को 19.8.2003 दिए बयानों में उसने यह नहीं बताया कि मृतका खाने का सामान आयी थी| जिरह में इस बारे में पूछने पर उसने कोई जवाब नहीं दिया| [पैरा 13] [409-एफ, जी-एच; 410- ए-एफ]

1.3 पी. डबलू. 16(शाक्रिबेन), जो प्रत्यर्थीकी पड़ोसी है, के अनुसार उसने प्रत्यर्थी के आँगन में तीनों लड़कियों को खेलते हुए देखा था| प्रत्यर्थी ने आकर दो लड़कियों को भगा दिया और मृतका को पकड़ कर अपने घर में धकेल दिया| उसके बाद उसने मृतका की चीख और पिटाई की आवाज सुनी| अगले दिन जब पीडिता की मां उसे ढूंढ रही थी तब उसने उसे घटना के बारे में बताया और तलाश में शामिल हो गयी| जिरह में उसने आरोपी के द्वारा स्वयं को डराने के कारण यह पुलिस को नहीं बताना कहा है और अपने पति और बच्चे को भी नहीं बताना कहा है| पी. डब्ल्यू. 16 और पी.

डब्ल्यू. 17 के द्वारा पुलिस को घटना के तुरंत बाद इस बारे में नहीं बताने के साथ उच्च न्यायालय ने पीडब्लू12 के बयान के साथ उनके बयानों का विश्लेषण किया और अभियुक्त के साथ पीडिता को आखिरी बार देखे जाने के सम्बन्ध में उन्हें असंगत और विरोधाभासी पाया| [पैरा 14-15] [410- जी-एच; 411-बी]

1.4. पीडब्लू-16, पीडब्लू-12 और पीडब्लू-17 की साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद उच्च न्यायालय ने ठीक ही अभिनिर्धारित किया है कि आरोपी के साथ अंतिम बार देखने की साक्ष्य जो अभियोजन ने पेश की है विश्वसनीय नहीं है क्योंकि यह विरोधाभासी, असंगत, असम्भाव्य होने के साथ बढ़ा चढ़ा कर दी गयी है| मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। यह अभियोजन पक्ष द्वारा जोर दी गयी परिस्थितिया हैं| अनुसंधान ठीक से नहीं किया गया है और अविश्वसनीय है| अंतिम बार साथ देखने की साक्ष्य से परिस्थितियों की श्रृंखला की कड़ी से कड़ी जोड़ कर अभियुक्त के द्वारा अपराध किये जाने की परिकल्पना नहीं की जा सकती| अतः इस न्यायालय का यह मानना है कि अभियोजन पुख्ता साक्ष्य से यह साबित नहीं कर पाया है कि मृतका को आखिरी बार आरोपी के साथ देखा गया था| [पैरा 15-16] [411-E-F; 414- सी-एफ]

1.5. चिकित्सकीयसाक्ष्य इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई मदद नहीं करता है कि प्रत्यर्थीका अपराध उचित संदेह से परे साबित हुआ है। जब प्रत्यर्थीको 19

अगस्त 2003 को गिरफ्तार किया गया तो एक पंचनामा (प्रदर्श14) तैयार किया गया। उसमें यह दर्ज है कि आरोपी की छाती, पीठ और कंधे पर नाखून से खरोंच के निशान थे और उसके लिंग पर भी सूजन थी और रगड़ से त्वचा पर भी सूजन थी. गिरफ्तारीके तुरंत बाद, प्रत्यर्थीको मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। डॉक्टर ने अपनी जिरह में यह भी स्वीकार किया कि उन्हें आरोपी के लिंग पर कोई चोट नहीं दिखी। इसलिए, यह पंचनामा में वर्णित स्थिति और डॉक्टर द्वारा किये गए चिकित्सकीय जांच में विरोधाभास को दर्शाता है| यह अभियोजन कहानी पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जहां तक प्रत्यर्थीकी छाती और पीठ पर मिली चोटों का सवाल है, तो उन्हें मृतका के नाखून से लगी चोटों के रूप में दिखाने की कोशिश की गई है। हालाँकि, पोस्टमार्टमनोट में मृतका के नाखून में आरोपी की त्वचा की मौजूदगी का संकेत नहीं मिला है। 414-जी-एच; 415-ए-डी]

1.6. उच्च न्यायालयने प्रत्यर्थीके घर से पीसने वाले पत्थर की बरामदगी पर भी संदेह व्यक्त किया है जिसका उपयोग कथित तौर पर मृतका की हत्या करने के लिए किया गया था। उच्च न्यायालयने इंगित किया है कि सबूत बताते हैं कि एफएसएल के अधिकारीको 19 अगस्त 2003 को बुलाया गया था, जिन्होंनेघटना स्थल का निरीक्षण किया और जांच अधिकारी को पत्थर बरामद करने का निर्देश दिया, जिसे तदनुसार बरामद कर लिया गया। इस प्रकार, एफएसएल के अधिकारी के बयान के अनुसार, पत्थर 19 अगस्त 2003 को ही बरामद कर लिया गया था। इसके विपरीत, 23 अगस्त 2003 को बनाये गए फर्द बरामदगी के अनुसार पीसने वाला पत्थर प्रत्यर्थीकी इतला पर स्टील की अलमारी के नीचे से बरामद किया

गया था। इससे उपरोक्त दस्तावेजोंऔर पत्थर की बरामदगी पर ही संदेह पैदा होता है [पैरा 18] [416-डी-जी]

1.7. उच्च न्यायालय द्वारा उजागर किया गया एक और पहलू है जो बहुत प्रासंगिक है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। घटना के बाद जब खोजी कुत्ते को घटनास्थल पर लाया गया था, उक्त कुत्ते ने पीडब्लू 16 के घर का पता लगाया था प्रत्यर्थीके घर का पता नहीं लगाया| इसी आधार पर पीडब्लू 16 के बेटे को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और 2 दिनों तक हिरासत में रखा था| इसके बाद उसे जाने दिया गया, क्योंकि पुलिस के मुताबिक उसने कोई अपराध नहीं किया था। यह संस्करण स्वयं पीडब्लू 16 की गवाही से आया है। दूसरी ओर, अनुसंधान अधिकारी ने इस तथ्य से पूरी तरह इनकार किया है कि पीडब्लू 16 के बेटे को कभी भी 2 दिनों के लिए हिरासत में लिया गया था। केस डायरी में भी ऐसी कोई एंट्री नहीं है|इसके अलावा, यह अनुसंधान और एकत्रित किए गए सबूतों की विश्वसनीयताके बारे में भी बहुत कुछ बताता है, खासकर तब जब इस बारे में कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आ रहा है कि पीडब्लू 16 के बेटे को पुलिस ने क्यों रिहा किया और प्रत्यर्थीको गिरफ्तार क्यों किया गया। [पैरा 19] [416-एच; 417-ए-सी, ई] 402 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 1 एस. सी. आर.

1.8. इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने सही निर्धारित किया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य आरोपी को मृतका की हत्या से जोड़ने के लिए परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला स्थापित नहीं करते हैं। अनुसंधान में महत्वपूर्ण खामियां और कमियां

हैं; गवाह विरोधाभासीबयान दे रहे हैं, और न्यायालय में दिए गए बयानों में अपने पुलिस बयानों से महत्वपूर्णसुधार कर रहे हैं। परिस्थितिजन्यसाक्ष्य के मामले में, ऐसे कम, कमजोर और अधूरी साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धिदर्ज करना नासमझी होगी। चूंकि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे आरोपों को साबित करने में सक्षम नहीं है, इसलिए उच्च न्यायालय ने विचरण न्यायालय के निर्णय को सही अपास्त किया है| [पैरा 20] [417 – एफ-एच]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 403/2007

अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के अपील संख्या 1915/2004 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 14.09.2006 से उत्पन्न।

अपीलार्थी के लिए नितिन सांगरा, पिंकी बेहरा, पारुल कुमारी, हेमंतिका वाही।

प्रत्यर्थी के लिए निधि।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

ए.के.सीकरी, जे.

1. वर्तमान अपील माननीय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा 2004 के आपराधिक पुष्टिकरणमामले संख्या 9 में आपराधिक अपील संख्या 1915/2004 के साथ पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 14 सितंबर 2006 के खिलाफ

निर्देशितहै, जिसमें उन्होने ,विद्वान अपर सत्र न्यायाधीशएवं द्वितीय फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा सत्र मुकदमा संख्या 4/2004 मे प्रत्यर्थी को सात साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के अपराध में आईपीसी की धारा 376,302 और 201 के तहत दोषी ठहराने और मौत की सजा से दंडित करने वाले फैसले को अपास्त कर दिया. उच्च न्यायालय ने अभियोजन की कहानी में गंभीर खामियां और कमियां पाईं, जिससे यह अविश्वसनीयहो गई और इस प्रकार उपरोक्त मामले में प्रत्यर्थीको बरी कर दिया गया।

2. अभियोजन का मामला, संक्षेप में, यह था कि प्रत्यर्थी अभियुक्त ग्राम भम्मिया निवासी 7 वर्ष की मृत लड़की कोमल का पड़ोसी था। घटना वाले दिन यानी 16.8.2003 को पीड़िता अपनी दो सहेलियों, पारुल और सरोज के साथ प्रत्यर्थीके आँगन में खेल रही थी। प्रत्यर्थी/अभियुक्त 15.00 से 15.30 बजे के बीच उसके घर आया। और लड़कियों को वहां खेलने के लिए डांटा। पारुल और सरोज भाग गए, जबकि मृत लड़की को प्रत्यर्थीने जबरन पकड़ लिया और उसे अपने घर में धकेल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। कपड़े धो रही पड़ोसी शाक्रिबेनचंद्रसिंह ने पीड़िताकी चीख सुनी जो कुछ देर बाद शांत हो गई।इसके बाद मृतका लड़की की मां सविताबेन, लगभग 16.00 बजे काम से लौटीं, और उसने अपनी बेटी को न पाकर शाक्रिबेनके साथ पीड़िता की तलाश शुरू कर दी। घटना के एक दिन बाद, पीड़िता का शव पास के एक खेत से बरामद किया गया था, जिसने सफेद फ्रॉक पहन रखी थी और अंडरगारमेंटगायब था, जो बाद में प्रत्यर्थीऔर शक्रिबेन चंद्रसिंह के घर के बीच पड़ने वाली बाड़ से बरामद किया गया था। पीड़िता के पिता

अरविंदभाई खाटूभाई द्वारा शिकायत दर्ज करायी गयी अैार एफआईआर दर्ज करायी गई। पुलिस ने जांच शुरू की और गवाहों के बयान दर्ज किये. जांच के दौरान आवश्यक नमूने भी एकत्र किये गये और एफएसएल को भेजे गये, मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसका पोस्टमार्टम 16.45 बजे एवं 17.45 बजे के बीच 17.8.2003 को डॉ. शशिकांत नागौरी ने किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निम्नलिखितचोटों का उल्लेख किया गया है:-

•दोनों जांघों, दोनों घुटनों पर खरोंच और पैरों पर चोट के निशान।

•लेबिया मेजा पर पाई गई चोटों में 3 x 2 सेमी की सूजन दाहिनी मेजा पर और बायीं मेजा पर रगड के निशान थे, बलात्कार के प्रयास में ऐसी चोटें आना संभव थीं। पीड़ित लड़की के प्राइवेटपार्ट्स पर पेनिट्रेशनकिया गया था.

•बाएं मास्टॉयड क्षेत्र पर चोटों की उपस्थिति, जो हड्डी तक गहरी थी और मस्तिष्कका पदार्थ घाव से बाहर आ गया था।

•सिर के पराइटल क्षेत्र और ललाट में पूरी खोपड़ी पर हेमेटोमा था और बाएं कान से खून बह रहा था।

•ललाट और सिर के बाएँ पार्श्विकाक्षेत्र पर खोपड़ी का एक अवनत अस्थिभंग था। डॉक्टर की राय मे चोटें प्रकृति के सामान्य अनुक्रम मे मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्तथी और मानव वध था ।

3. प्रत्यर्थीको दो दिन बाद यानी 19.8.2003 को पास के एक गांव से गिरफ्तारकर लिया गया, जो कथित तौर पर अपराध करने के बाद भाग गया था।

तलाशी लेने पर उसकी जेब से कथित तौर पर प्रत्यर्थीद्वारा लिखा गया एक सुसाइड नोट बरामद हुआ। इसके अलावा खून से सने कपड़े और मृतका का ब्लड ग्रुप अन्य सामान पर पाया गया। उसके शरीर पर चोटें पाई गईं, जिसे गिरफ्तारी पंचनामे में दर्ज किया गया। आरोपी की निशानदेहीपर उसके घर से मृतका के सिर पर चोट मारने में प्रयुक्त पीसने वाला पत्थर बरामद कर लिया गया। पत्थर की बरामदगी के बाद दिनांक 20.8.2003 को पंच गवाहों की उपस्थिति में पत्थर की बरामदगी का पंचनामा बनाया गया। इसके बाद उन वस्तुओं का पंचनामा तैयार किया गया जो स्टील की अलमारी के नीचे छिपाई गई थीं। जांच पूरी होने के बाद विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गोधरा के समक्ष 22.8.2003 को आरोप पत्र दाखिल किया गया। कमिट करने के बाद, मामला 2004 के सत्र केस नंबर 4 के रूप में दर्ज किया गया था और प्रत्यर्थीआरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376,302 और 201 के तहत आरोप तय किया गया था। प्रत्यर्थीने आरोप से इनकार किया और अन्वीक्षाचाही। अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में 23 गवाहों के बयान करवाए। अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में किसी गवाह को पेश नही किया गया । प्रत्यर्थीका बयान सीआरपीसीकी धारा 313 के तहत दर्ज किया गया था। 7.10.2004 को विद्वान सत्र न्यायाधीशने मौखिक और दस्तावेजीसाक्ष्य के आधार पर प्रत्यर्थीको बलात्कार और हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराया। विद्वान सत्र न्यायाधीशने धारा 302 के तहत हत्या के अपराध के लिए मृत्युदंड और धारा 376 के तहत बलात्कार के अपराध के लिए आजीवन कारावास और 1000/- रुपये के अर्थदण्डकी सजा सुनाई और अदम अदायगी अर्थदण्ड 3 महीने

के लिए साधारण कारावास से दंडित किया। सत्र न्यायालय द्वारा दी गई मौत की सजा की मंजूरी के लिए मामले का रिकॉर्ड सीआरपीसी की धारा 366 के तहत उच्च न्यायालय को भेजा गया था। आरोपी ने दिनांक 7.10.2004 के फैसले और आदेश के खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील संख्या 1915/2004 भी दायर की।

विवादित निर्णयः

4. जैसा कि ऊपर से स्पष्ट है, प्रत्यर्थी के खिलाफ नाबालिग लड़की कोमल के साथ बलात्कार करने और उसके बाद उसकी हत्या करने का आरोप था। उच्च न्यायालय ने चिकित्सीय साक्ष्य अर्थात् मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पाया कि यह मानव हत्या का मामला था। इसे लेकर कोई विवाद नहीं है और हमारे सामने प्रत्यर्थी द्वारा भी इस पहलू पर कोई विवाद नहीं किया गया है।

5. जहां तक बलात्कार के आरोप का सवाल है, उच्च न्यायालय ने कहा कि कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं थी और चिकित्सकीय साक्ष्य ही एकमात्र परिस्थितिजन्य साक्ष्य थी जिस पर भरोसा किया जा सकता था। इसमें डॉ. नागोरी की साक्ष्य की व्याख्या की गयी, जिन्होंने शव का पोस्टमार्टम किया था। यह पाया गया कि दाहिनी लेबिया मेजा पर 3x2 सेमी की सूजन थी और बायीं लेबिया मेजा पर रगड थी। पोस्टमॉर्टम नोट्स में यह भी दर्ज है कि योनि परीक्षण के अनुसार, यह पाया गया कि छोटी उंगली कठिनाई से गयी अैार कोई आंतरिक चोट नहीं थी। पोस्टमार्टम नोट्स में दोनों जांघों, दोनों घुटनों पर खरोंच और पैरों पर चोट के

निशान भी मिले हैं। अपने बयान में, डॉक्टर ने चोटों का वर्णन करने के बाद कहा कि लेबिया मेजा पर पाई गई चोटें बलात्कार के प्रयास में संभव थीं। जिरह के दौरान उन्होंने कहा कि, अगर योनि में लिंग का प्रवेश होता, तो आंतरिक चोट लगने की संभावना होती। उन्होंने कहा कि, पोस्टमॉर्टमजांच से, तत्काल मामले में, योनि में लिंग का प्रवेश नहीं हुआ था।

6. उपरोक्त के आधार पर, उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया कि बलात्कार का अपराध अभियोजन पक्ष द्वारा उचित संदेह से परे साबित नहीं किया गया था और इसे, अधिक से अधिक, बलात्कार का प्रयास माना जा सकता है। तदनुसार आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार के अपराध के लिए दोषसिद्ध करने वाले विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को अपास्त कर दिया गया है। यह मुख्य रूप से इस आधार पर माना है कि भले ही यह स्वीकार किया जाए कि नाबालिग के साथ बलात्कार के मामले में, वीर्य के उत्सर्जन के साथ लिंग का पूरा प्रवेश और हाइमन का फटना जरूरी नहीं है, हस्तगत मामले में, चिकित्सकीय साक्ष्य के अनुसार बिल्कुल भी प्रवेश नहीं होना वह कारक था जिसने उच्च न्यायालय को आईपीसी की धारा 376 के आधार पर दोषसिद्धिको अपास्त करने के लिए प्रभावित किया था।

7. इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही की कि मृतका की हत्या की गई थी और उसके साथ बलात्कार का प्रयास किया गया था। इसके बाद इस पर विचार किया की, क्या प्रत्यर्थीको उक्त हत्या और बलात्कार के प्रयास

से जोड़ा जा सकता है। यह चश्मदीद गवाह की अनुपस्थिति में परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला था। सबूतों पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में विफल रहा है कि परिस्थितियोंकी श्रृंखला आरोपी को अपराध से जोड़ सकती है। विभिन्न गवाहों आदि के बयानों में तात्विक विरोधाभास और विसंगतियाँ थीं जिससे पूरी श्रृंखला नहीं बन पाई। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के दोषसिद्धि के आदेश को अस्थिर मानते हुए रद्द कर दिया और आरोपी को आरोपों से बरी कर दिया। अन्य बातों के साथ-साथ यह माना गया कि अभियोजन पक्ष द्वारा अंतिम बार साथ देखी गयी साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योकि यह न केवल विरोधाभासी, असंगत और असंभव है, बल्कि बढाचढा कर दी गयी होने के कारण, अविश्वसनीय लगती है। जहां तक आरोपी के सीने और पीठ पर मिली चोटों का सवाल है, जिसे अभियोजन पक्ष ने संभवतः मृतका द्वारा नाखून से लगी चोटों के रूप में दिखाने की कोशिश की, उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के इस संस्करण को इस आधार पर खारिज कर दिया कि पोस्टमार्टमनोट मे मृतका के नाखून में आरोपी की त्वचा की मौजूदगी का संकेत नहीं है। उच्च न्यायालय के अनुसार अनुसंधान स्वतंत्र, भरोसेमंद या विश्वसनीय नहीं पाया गया , सबूत आरोपी को अपराध से जोड़ने के लिए परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला स्थापित नहीं करते हैं। जांच में प्रमुख खामियां हैं जो मामले को परिस्थितिजन्यसाक्ष्य पर आधारित होने से इसे संदिग्ध बना देती हैं। इस प्रकार, उन्होने विचारण न्यायालय के फैसले को इस आधार पर खारिज कर

दिया कि इतने कम, कमजोर और अधूरे सबूतों पर दोषसिद्धि दर्ज नहीं की जा सकती।

तर्क :

8. राज्य के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालयने यह मानने में गंभीर त्रुटि की है कि प्रत्यर्थीको घटना से जोड़ने वाली परिस्थितियोंकी पूरी श्रृंखला नहीं बनी थी। उन्होंने बताया कि घटनास्थल से खून, मिट्टी आदि के कुछ नमूने एकत्र किए गए थे और एफएसएम रिपोर्ट (एक्स.54) वहां से प्राप्तकी गई थी, जिसे गवाह नंबर 20-चंदूभाई नागजीभाई पारगी के माध्यम से ट्रायल कोर्ट में विधिवत साबित किया गया था, जिसने कहा था कि 17.8.2003 को नियंत्रणकक्ष से संदेश प्राप्त होने पर वह एफएसएल मोबाइल वैन के साथ घटना स्थल पर गए थे और निम्नलिखितनमूने एकत्र किए थे:

•घटना स्थल से खून से सनी मिट्टी।दो पैरों के बीच की जगह से बरामद संदिग्ध निशान वाली मिट्टी।

•शव से 5 फीट की दूरी पर से बरामद नियंत्रणमिट्टी।

•शव से 7 फीट की दूरी से बरामद पान की पीक लगी मिट्टी

•शव से दक्षिण दिशा में स्थित चन्द्रसिंहलक्ष्मणसिंहचौहान के घर के पीछे वड़े से दागदार एक लाल रंग की निक्कर।

9. उन्होंनेइस न्यायालयका ध्यान मृतका की बाहरी जांच वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट (Ex.7) की ओर आकर्षित किया। उक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार,निम्नलिखितपहलू स्थापित किए गए:

1	कपड़ों की हालत चाहे पानी से गीले हों,खून से सने हों,उल्टी या मल से गंदे हों	खून से सने थे
2	बाहरी जननांगोंपर चोटें, परजिंग का संकेत	3x2 सेमी की सूजन (हेमेटोमल) दायी लेबिया मेजोरा पर और लेफ्ट लेबिया मेजोरा पर रगड
3	सतही घाव और चोटें, उनकी प्राकृतिक स्थिति,आयाम (मापा गया) और दिशाएं सटीक रूप से बताई जानी चाहिए: उनकी संभावित उम्र और कारण नोट किया जाना चाहिए	A. दोनों जांघों के ऊपरी मध्य क्षेत्र पर खरोंच A. दोनों घुटनों पर खरोंच A. दोनों पैरों पर चोट के निशान

10. उन्होंनेयह भी बताया कि चिकित्साअधिकारीद्वारा दर्ज की गई मौत के कारण या संभावित कारण के बारे में राय यह थी कि "मौत का कारण सिर की चोट के कारण आघात है,जिससे मस्तिष्क के ऊपर खोपड़ी की चोट लगी है"। उन्होंनेयह भी बताया कि मृतका का कपड़ा खून से सना हुआ था और दोनों जांघों

के मध्य ऊपरी हिस्से, दोनों घुटनों के ऊपर और दोनों पैरों पर चोट के निशान थे। विद्वान वकील के अनुसार, इससे पता चलता है कि मृतका के साथ यौन उत्पीड़न किया गया और उसकी हत्या कर दी गई।

11. आरोपी को उक्त घटना से जोड़ने के लिए,विद्वान वकील ने पीडब्लू 12 सरोज की गवाही का हवाला दिया, जो पारुल और मृतका के साथ उस दिन आरोपी के आँगन में खेल रही थी जब आरोपी वहां पहुंचा और इन लड़कियों को उसने डांटा था| उनका कहना था कि इस पहलू पर बचाव पक्ष द्वारा कोई जिरह नहीं की गई थी और इस गवाही से यह साबित हुआ कि मृतका को आखिरी बार आरोपी के साथ देखा गया था,क्योंकि पीडब्लू 12 ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह और पारुल वहां से चले गए लेकिन मृतका वहीं रही। उन्होंने आगे कहा कि इसकी पुष्टि पड़ोसी शाक्रिबेनचंद्रसिंह (पीडब्लू6)ने भी की थी।

12. संक्षेप में,राज्य के विद्वान वकील की दलील यह थी कि परिस्थितियोंने अपराध को आरोपी से जोड़ने वाली घटनाओं की एक पूरी श्रृंखला बनाई, जैसे:

1. पीड़िता को आखिरी बार आरोपी के साथ दे गया था;

2. आरोपी के आवास से कुछ नमूने एकत्रित किए गए,जिनमें प्लास्टर लगा खून, पश्चिमी दीवार के भूतल से रगड़कर धागे पर लिया गया खून, खून के धब्बे वाली लकड़ी की प्लेट का समर्थन (दत्तो), धातु बैरल पर चिपकाए गए कागज के टुकड़े शामिल हैं। खून के धब्बे आदि धारण करना; उपरोक्त पाया गया रक्त "बी" समूह का था जो मृतका का रक्त समूह है;3. मृतका के वीर्य के साथ जांघों से मिट्टी

एकत्र की गई और वीर्य "ओ" समूह का पाया गया जो कि आरोपी का है; 4. चिकित्सीयसाक्ष्य,जो स्पष्ट रूप से प्रत्यर्थीके द्वारा अपराध कारित करना इंगित कर रहा है|

हमारा विश्लेषण

13. चूंकि यह परिस्थितिजन्यसाक्ष्य का मामला है और अभियोजन पक्ष का मामला आखिरी बार देखे जाने के सिद्धांत से शुरू होता है| क्या अभियोजन निर्णायकरूप से और संदेह से परे यह साबित करने में सफल रहा है कि मृतका को आखिरी बार अभियुक्तके साथ देखा गया था? इस उद्देश्यके लिए, अभियोजन पक्ष ने पी. डबलू. 12, पी. डबलू. 16, पी. डबलू. 17 और पी. डबलू. 18 की गवाही पर भरोसा किया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन गवाहों की गवाही विश्वसनीय है? उच्च न्यायालयने उपरोक्त गवाहों के बयानों में कुछ अंतर्निहितविरोधाभासपाए हैं जिसके आधार पर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उनके बयान को स्वीकार करना मुश्किल है,जो घटनाओं के विवरण के बारे में एक-दूसरे के विपरीत भी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पीडब्लू 12 सरोजबेन मृतका और पारुल के साथ आरोपी के निवास के आँगन में खेल रही थी और जब प्रत्यर्थीमौके पर पहुंचा,तो उसने उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहा। हालाँकि,उसके बाद क्या मृतका वहीं रही और उसके बाद उसका शव मिलने तक उसे बिल्कुल भी नहीं देखा गया,यह एक प्रासंगिकप्रश्न है। अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार मृतका ने वह स्थान छोड़ दिया था, वो प्रत्यर्थीके कहने पर बाजार से विमल गुटका खरीदने गयी और उसने गुटका लाकर

प्रत्यर्थीको लाकर दिया| क्या यह निर्णायकरूप से सिद्ध हो गया है कि वह प्रत्यर्थी के पास वापस लौटकर आई थी? हाईकोर्ट के मुताबिक इस सम्बन्ध में गवाहों के बयानों में विरोधाभास हैं। पीडब्लू 7 ,वह दुकानदार, जिससे मृतका गुटका खरीदने गयी थी उसने मृतका का उस दिन अपनी दुकान पर दिन में तीन बजे आना और एक रुपये में खाने का सामान (गुटका नहीं) खरीदना और फिर चली जाना बताया है| जिरह में उसने कहा कि पीडिता उसकी दुकान पर विमल गुटका खरीदने नहीं आई| तो उसके मुताबिक मृतका कुछ खाने का सामान खरीदने उसकी दुकान पर आई थी| उसने 19 अगस्त 2003 को दिए गए पुलिस ब्यान में भी यह स्वीकार किया कि उसने मृतका का अपनी दुकान पर मृतका का खाने की वस्तु खरीदने आना नहीं बताया| जिरह के दौरान जब उससे पूछा गया कि उसने पीड़िता के उसकी दुकान पर खाने-पीने का सामान खरीदने आने के बारे में पुलिस को क्यों नहीं बताया,तो उसने कोई खास जवाब नहीं दिया।

14. पी. डबलू, 16(शाक्रिबेन),जो प्रत्यर्थीकी पड़ोसी है, के अनुसार, उसने तीन लड़कियोंको प्रत्यर्थीके आंगन में खेलते देखा था। उसने आगे कहा कि प्रत्यर्थी ने पारुल और सरोज को भगा दिया और फिर पीड़िता को पकड़कर अपने घर में धकेल दिया। इसके बाद उसने पीड़िता की चीख सुनी और फिर पिटाई की आवाज सुनी। उसने आगे कहा कि वह उसके बाद घर में गई लेकिन प्रत्यर्थीने उसे धमकी दी कि अगर उसने शहर में किसी से बात की तो वह उसे और उसके बेटे को मार डालेगा। उसने आगे कहा कि आरोपी घटना के दिन दोपहर करीब 2.30 बजे आया था और वह नशे में था। उसने घर के पिछले दरवाजे को धक्का देकर खोलने की

कोशिश की। गवाह ने कहा कि मृतका की मां दिवालीबेनने उसे घर की चाबी दी थी,जिसे उसने आरोपी को दे दी। गवाह ने आगे कहा कि अगले दिन जब मृतका की मां मृतका को ढूंढ रही थी तो उसने उसे बताया कि उसने मृतका को नहीं देखा है और वह भी तलाश में शामिल हो गई| जिरह के दौरान गवाह ने स्वीकार किया है कि उसने पुलिस के समक्ष अपने बयान में यह नहीं कहा था कि आरोपी ने उसे डराया-धमकाया था। वो कहती है कि उसे नहीं पता कि पीड़िता गुटके का पैकेट खरीदने गई थी या नहीं| उसके तथा आरोपी के घर के बीच की दूरी 25 से 30 फीट है| उसका कहना है कि उसने इस घटना के बारे में अपने पति या बेटे को नहीं बताया| वह स्वीकार करती है कि उसने पुलिस के समक्ष यह नहीं बताया कि घटना के समय वह कपड़े धोकर घर में बैठी थी और उस समय आरोपी ने उसे डराया-धमकाया था कि अगर उसने गांव में किसी को बताया तो,वह उसे और उसके बेटे को मार डालेगा।वह मानती हैं कि घटना वाले दिन और अगले दिन जब लोग बच्ची को ढूंढ रहे थे तो उसने घटना के बारे में किसी को नहीं बताया|

15. पीडब्लू16 और पीडब्लू17 की ओर से घटना के तुरंत बाद अपने बयान देते समय पुलिस को उल्लेख न करने की उपरोक्त चूक के अलावा, उच्च न्यायालय ने पीडब्लू 12 के बयान के साथ उनके बयानों का भी विश्लेषण किया है और उन्हें निम्नअनुसारउन्हें असंगत और विरोधाभासीपाया है:

> "इन तीन गवाहों के बयानों से, अभियोजन पक्ष ने यह स्थापित करने की कोशिश की है कि आरोपी को आखिरी बार

मृतका के साथ देखा गया था। लेकिन इस सबूत की जांच हमें इस पहलू के नकारात्मक रूप में ले जाती है। पीडब्लू 12 सरोज के अनुसार,वह पीड़िता और पारुल के साथ खेल रही थी। आरोपी लगभग 3 बजे आया और चिल्लाया "लडिडिओं" (जिसका अर्थ है युवा लड़कियां)। इसलिए वह और पारुल भाग गईं और पीड़िता वहीं रह गई| उसका कहना है कि आरोपी ने पीड़िता को विमल का पैकेट खरीदने के लिए भेजा था| उसका यह भी कहना है कि इसके बाद वह घर जाकर पाठ पढ़ रही थी| उसने पीड़िता को आरोपी को देने के लिए विमल का पैकेट लेकर जाते देखा। इसलिए,यदि उसकी बात को यूं कि यूं मान भी लिया जाए,तो पीड़िता को विमल का पैकेट लेकर आरोपी के घर जाते देखा गया और उनके मुताबिक अगर वो वहां पहुंची भी थी तो सरोज और पारुल वहां मौजूद नहीं थे|

सरोज के बयान से उभरने वाली उपरोक्त स्थिति के खिलाफ,यदि शकरीबेन (एक्स 49)के बयान को देखा जाए,तो वह कहती है कि जब सरोज,पीड़िता और पारुल आरोपी के आंगन में खेल रहे थे, तो आरोपी पहुंचा और पारुल और सरोज को भगा दिया। और पीड़िता को पकड़कर घर के अंदर धकेल दिया, इसके बाद उसने पीड़िता की रोने की आवाज सुनी और फिर पिटाई की आवाज सुनी, इसका मतलब यह था कि जब मृतका को घर में ले

जाया गया,तो वह आखिरी समय था जब उसे घर में आरोपी के साथ देखा गया था। उस समय सरोज और पारुल दोनों मौजूद थे,जो सरोज के बयान के बिल्कुल विपरीत है। दूसरे दृष्टिकोण से देखने पर,शकरीबेन ने पीड़िता को घर में धकेलने से पहले और उसके बाद घटना घटने की कोई बात नहीं कही,जबकि सरोज का कहना था कि आरोपी ने पीड़िता को विमल का पैकेट लाने के लिए भेजा था। इसलिए, आवश्यक रूप से, शकरीबेन ने जो देखा वह आखिरी समय नहीं था जब पीड़िता और आरोपी एक साथ थे। पीड़िता को सरोज ने बाद में और गवाह-हिमतभाई ने भी देखा था। अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह के रूप में पारुल से पूछताछ नहीं की गई है। इसलिए, अभियोजन पक्ष की साक्ष्य जो मृतका को आखिरी बार आरोपी के साथ देखे जाने के बारे में है, असंगत और विरोधाभासी हैं।

इसके अलावा, पी. डबलू. 16 का आचरण अप्राकृतिक प्रतीत होता है और इस प्रकार विश्वास किये जाने योग्य नहीं है। उच्च न्यायालयने ठीक ही कहा है कि निम्न कारणों से विश्वसनीय नहीं है:-

(1) हालांकि वह देखने का दावा करती है कि आरोपी ने पीड़िता को घर में धकेल दिया और फिर उसकी चीख और उसके

बाद पिटाई की आवाज सुनी, लेकिन उसने उसे बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

(2) 19 अगस्त 2003 को जब उनका बयान दर्ज किया गया तब तक उन्होंने इस घटना के बारे में अपने पति और बेटे सहित किसी को भी नहीं बताया।

(3) यहां तक कि पुलिस को दिए अपने बयान में भी उसने उपरोक्त कथित तथ्यों को बताना छोड़ दिया है।

(4) घटना के अगले दिन जब पीड़िता की तलाश की जा रही थी तब भी वह शांत रही और घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, अजीब बात है, वह पीड़िता की तलाश करने वाले समूह में शामिल हो जाती है।

(5) इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि प्रत्यर्थी ने उसे कब और क्यों डराया होगा। उसके द्वारा बताए गए घटना क्रम के अनुसार, प्रत्यर्थी आया; उसने उसे उसके घर की चाबी दी; प्रत्यर्थी अपने घर गया और लड़कियों पर चिल्लाया, दो अन्य लड़कियाँ चली गईं और प्रत्यर्थी ने पीड़िता को घर में धकेल दिया; और उसके बाद वह (साक्षी अपने घर चली गई)। यदि इन अनुक्रमों को देखा जाए तो आरोपी के पास उसे डराने-धमकाने का कोई अवसर नहीं था।

जहां तक पीडब्लू 12 सरोज की साक्ष्य का सवाल है, उसने कहा कि उसने आखिरी बार मृतका को विमल के पैकेट के साथ जाते देखा था। उसने बस यह मान लिया कि पीड़िता आरोपी को उक्त पैकेट देने जा रही थी। हालाँकि, उसने मृतका को विमल गुटका का पैकेट लेकर प्रत्यर्थी के पास जाते नहीं देखा क्योंकि उसने विशेष रूप से कहा कि मृतका को विमल का पैकेट ले जाते हुए देखने के बाद वह घर चली गई और अपना पाठ पढने लगी। ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि मृतका आरोपी के घर पहुंची और उससे मिली। वास्तव में, वस्तु की खरीद पर भी कुछ विरोधाभास है क्योंकि पीडब्लू7 के अनुसार मृतका ने खाने का सामान खरीदा था जबकि पीडब्लू12 का कहना है कि वह विमल गुटका ले जा रही थी। पी. डबलू 17 ने विशेष रूप से कहा है कि मृतका ने उससे विमल गुटका नहीं खरीदा था। सरोज शकारीबेन की उपरोक्त गवाही से उच्च न्यायालय ने यह भी पाया है कि दोनों साक्ष्यों को एक साथ देखने पर, अभियोजन की कहानी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि यदि परिस्थिति को एक अलग नजरिये से देखा जाता है, तो यदि सरोज जो कहती है वह हुआ था, तो शकरीबेन जो कहती है वह नहीं हो सकता है, क्योंकि शकरीबेन के अनुसार, आते ही आरोपी लड़कियों पर चिल्लाया और पारुल और सरोज को भगा दिया और मृतका को घर में धकेल दिया और अगर

शकरीबेन जो कहती है वह सही है, तो सरोज जो कहती है, वह नहीं हो सकता था। कुछ परिस्थितियों के कारण यह संदेह और अधिक प्रबल हो गया है, जिसकी चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की जाएगी।

किसी भी कोण से जांच की जाए तो अंतिम बार साथ देखे जाने की अभियोजन पक्ष द्वारा पेश की गयी साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह न केवल विरोधाभासी, असंगत और असंभव है, बल्कि यह साक्ष्य बढ़ा चढ़ा कर दी गयी है| इसलिए हमको यह अविश्वसनीय लगती है। मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। यह अभियोजन पक्ष द्वारा जोर दी गयी प्रमुख परिस्थितियोंमें से एक है। हमने यह भी पाया है कि अनुसंधान ठीक से नहीं किया गया है और विश्वासनीय नहीं है। इसलिए, आखिरी बार एक साथ देखे जाने सम्बन्धी साक्ष्य से परिस्थितियों की श्रृंखला की कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ रही है, जिससे आरोपी द्वारा ही अपराध किया जाना साबित हो|"

16. हम उच्च न्यायालय द्वारा किये गए साक्ष्य के उपरोक्त विश्लेषण से सहमत हैं और इसलिए, यह मानते हैं कि अभियोजन पक्ष पुख्ता साक्ष्य से यह साबित नहीं कर पाया है कि मृतका को अंतिम बार आरोपी के साथ देखा गया था।

17. जहाँ तक चिकित्सीयसाक्ष्य का प्रश्न है, जिस पर सरकारी वकील जोर दे रहे हैं, इस निष्कर्षपर पहुंचने में कोई मदद नहीं करता है कि प्रत्यर्थीका अपराध उचित संदेह से परे साबित हुआ है। जब प्रत्यर्थीको 19 अगस्त 2003 को गिरफ्तार किया गया तो एक पंचनामा (प्रदर्श14) तैयार किया गया। उसमें यह दर्ज है कि आरोपी की छाती, पीठ और कंधे पर नाखून से खरोंच के निशान थे और उसके लिंग पर भी सूजन थी और रगड़ से त्वचा पर भी सूजन थी. गिरफ्तारीके तुरंत बाद, प्रत्यर्थीको मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। मेडिकल रिपोर्ट (Ex.17) के अनुसार उसकी छाती और पीठ पर चोटों को डॉक्टर ने रैखिक रगड़ के रूप में वर्णित किया है| उसके नाखूनों में कोई बाहरी कण नहीं थे| डॉक्टर ने अपनी जिरह में यह भी स्वीकार किया कि उन्हें आरोपी के लिंग पर कोई चोट नहीं दिखी। इसलिए, यह पंचनामा में वर्णित स्थिति और डॉक्टर द्वारा किये गए चिकित्सकीय जांच में विरोधाभासको दर्शाता है| जहां तक वे प्रत्यर्थीके लिंग पर चोट से संबंधित हैं। हाई कोर्ट ने सही कहा है कि पंचनामे में खरोंचें दर्ज हैं और इसलिए इतने कम समय में यह गायब नहीं हो सकती। यह अभियोजनपक्ष पर प्रतिकूलप्रभाव डालता है। जहां तक प्रत्यर्थीकी छाती और पीठ पर मिली चोटों का सवाल है, तो उन्हें मृतका के नाखून से लगी चोटों के रूप में दिखाने की कोशिश की गई है। हालाँकि, पोस्टमार्टमनोट में मृतका के नाखून में आरोपी की त्वचा की मौजूदगी का संकेत नहीं मिला है। इसके अलावा, हमारे उद्देश्योंके लिए प्रासंगिकचिकित्सकीयसाक्ष्य के बारे में आक्षेपितफैसले में उच्च न्यायालयकी टिप्पणियाँजो नीचे दी गई हैं उनके विश्लेषणसे हम पूरी तरह सहमत हैं:

"साक्ष्य की उपरोक्त विवेचना से, यह स्पष्ट है कि डॉक्टर के अनुसार, आरोपी के लिंग पर कोई रक्तस्रावीचोट नहीं थी। मृतका के भी कोई रक्तस्रावी चोट नहीं थी। मृतका की योनि में कोई आंतरिक चोट नहीं थी। इसके विपरीत, यदि योनि स्वैब के परिणाम देखे जाते हैं, तो रक्त और वीर्य की उपस्थिति पाई जाती है। यह कैसे पाया गया होगा यह एक ऐसा प्रश्न है जो अस्पष्ट और अनुत्तरितबना हुआ है। इससे अनुसंधानकी विश्वसनीयतापर भारी संदेह पैदा हो रह है। इसके अलावा, जहां तकयोनि से स्वाब का सवाल है, तो रक्त समूह अज्ञात बना हुआ है।

यदि शकरीबेन की साक्ष्य को देखा जाएं तो अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, घटना आरोपी के घर में हुई थी जिसको शकरीबेन की साक्ष्य से साबित करने की कोशिश की गई है, जो कहती हैं आरोपी ने मृतका को अपने घर में धकेल दिया और उसके बाद, उसने मृतका के रोने की आवाज सुनी और फिर पिटाई की आवाज सुनी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी के घर में विभिन्न स्थानोंपर मृतका के रक्त समूह के धब्बे पाए गए। आरोपी के घर में वीर्य का कोई निशान नहीं मिला| लेकिन, हैरानी की बात यह है कि जिस जगह पर शव मिला, वहां जमीन पर आरोपियोंके रक्त समूह का वीर्य भी पडा मिला। अगर घटना घर में हुई तो वीर्य के निशान घर में मिलने चाहिए थे, ना कि उस जगह जहां शव

पडा मिला था। आरोपी द्वारा घर में धकेलने के तुरंत बाद मृतका की हत्या करने का कोई मकसद नहीं दर्शाया गया है और, यदि घर में बलात्कार या बलात्कार का प्रयास किया गया था और उसके बाद कथित हत्या की गई थी, तो घर में वीर्य के निशान मौजूद होने चाहिये थे। ये कारक अस्पष्ट बने हुए हैं और ऐसा लगता है कि विचारण न्यायालय ने इन पर ध्यान नहीं दिया गया है।"

18. उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी के घर से पीसने वाले पत्थर की बरामदगी पर भी संदेह व्यक्त किया है जिसका उपयोग कथित तौर पर मृतका की हत्या करने के लिए किया गया था। उच्च न्यायालय ने इंगित किया है कि सबूत बताते हैं कि एफएसएल के अधिकारी को 19 अगस्त 2003 को बुलाया गया था, जिन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण किया और जांच अधिकारी को पत्थर बरामद करने का निर्देश दिया, जिसे तदनुसार बरामद कर लिया गया। ऐसा उनकी रिपोर्ट के साथ-साथ उनके बयान में भी कहा गया है। इस प्रकार, एफएसएल के अधिकारी के बयान के अनुसार, पत्थर 19 अगस्त 2003 को ही बरामद कर लिया गया था। इसके विपरीत, 23 अगस्त 2003 को बनाये गए फर्द बरामदगी के अनुसार पीसने वाला पत्थर प्रत्यर्थी की इतला पर स्टील की अलमारी के नीचे से बरामद किया गया था। यदि पत्थर 19 अगस्त 2003 को पहले ही बरामद हो चुका था, तो यह बरामदगी कैसे हो सकती थी। इससे उपरोक्त दस्तावेजों और पत्थर की बरामदगी पर ही संदेह पैदा होता है।

19. उच्च न्यायालय द्वारा उजागर किया गया एक और पहलू है जो बहुत प्रासंगिक है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। घटना के बाद जब खोजी कुत्ते को घटनास्थल पर लाया गया था, उक्त कुत्ते ने पीडब्लू 16 के घर का पता लगाया था प्रत्यर्थी के घर का पता नहीं लगाया| इसी आधार पर पीडब्लू 16 के बेटे को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और 2 दिनों तक हिरासत में रखा था| इसके बाद उसे जाने दिया गया, क्योंकि पुलिस के मुताबिक उसने कोई अपराध नहीं किया था। यह संस्करण स्वयं पीडब्लू 16 की गवाही से आया है। दूसरी ओर, अनुसंधान अधिकारी ने इस तथ्य से पूरी तरह इनकार किया है कि पीडब्लू 16 के बेटे को कभी भी 2 दिनों के लिए हिरासत में लिया गया था। केस डायरी में भी ऐसी कोई एंट्री नहीं है| रिकॉर्ड पर मौजूद इस साक्ष्य से, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है कि अनुसंधान को उतना ईमानदार नहीं माना जा सकता क्योंकि यह दो संभावनाओंकी ओर इंगित करता है:-

(1) अनुसंधान अधिकारी ने पीडब्लू 16 के बेटे को 2 दिनों तक हिरासत में नहीं लिया या पूछताछ नहीं की। यदि ऐसा है तो जब खोजी कुत्ते ने पीडब्लू 16 के घर का पता लगाया तो वह अपने कर्तव्य में विफल रहा।

(2) यदि अनुसंधान अधिकारी ने पीडब्लू 16 के बेटे को हिरासत में लिया था, तो केस डायरी में घटनाओं को सही ढंग से दर्ज नहीं किया गया है और वह अदालत के सामने सच नहीं बता रहा है।

इसके अलावा, यह अनुसंधान और एकत्रित किए गए सबूतों की विश्वसनीयता के बारे में भी बहुत कुछ बताता है, खासकर तब जब इस बारे में कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आ रहा है कि पीडब्लू6 के बेटे को पुलिस ने क्यों रिहा किया और प्रत्यर्थी को गिरफ्तार क्यों किया गया।

20. इस प्रकार, हम उच्च न्यायालय के निष्कर्षों से सहमत हैं कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य आरोपी को मृतका कोमल की हत्या से जोड़ने के लिए परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला स्थापित नहीं करते हैं। अनुसंधान में महत्वपूर्ण खामियां और कमियां हैं; गवाह विरोधाभासी बयान दे रहे हैं; और न्यायालय में दिए गए बयानों में अपने पुलिस बयानों से महत्वपूर्ण सुधार कर रहे हैं। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, ऐसी कम, कमजोर और अधूरी साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज करना नासमझी होगी। चूंकि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे आरोपों को साबित करने में सक्षम नहीं है, इसलिए उच्च न्यायालय के निष्कर्षों से सहमत होकर हम वर्तमान अपील को खारिज करते हैं।

अपील ख़ारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती कुन्तल जैन, आरजे 00474(आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।